पत्र संख्या–बजट–सामान्य–अनाच्छादित–व्या०दु०बी०यो0(2025–26)/ 473 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक :: 17 अक्टूबर, 2025

अपर आयुक्त, राज्य कर,
लखनऊ जोन–प्रथम, लखनऊ।
अपर आयुक्त, ग्रेड–1, राज्य कर,
अलीगढ़ जोन–अलीगढ़, मेरठ जोन– मेरठ
मुरादाबाद जोन–मुरादाबाद

कृपया सूची में अंकित आपके ज़ोन से सम्बन्धित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा का अवलोकन करने का कष्ट करें।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक/ आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	स्व0 श्री मोनू	सर्वश्री खाटू श्याम बर्तन भण्डार, हरदोई	13-11-2022 10-09-2025	**प्रश्नगत प्रकरण में चीफ स्टैण्डिग काउन्सिल इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बैच लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-13854 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा रिट याचिका संख्या-8179 - 2025 में पारित निर्णय के क्रम में प्रकरण का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये है । अतः उक्त प्रकरण में आयुक्त महोदय द्वारा भुगतान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाना है ।** **यहाँ अवगत कराना है कि जोन से प्रेषित आख्या के अनुसार मृतक को विवाहित बताया है। अतः विवाहित के बीमा दावेदारी की स्थिति स्पष्ट करें तथा मुखरित आदेश हेतु पत्रावली प्रकरण वापस प्रेषित है चूकि प्रकरण न्यायालय वाद सं0 8179-2025 से आच्छादित है अतः तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है ।**
2	अलीगढ	स्व० श्री पंकज वार्ष्णेय	सर्वश्री आर०के० साडी, अलीगढ	14-12-2022 13-09-2023	अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, अलीगढ़ ने अपने पत्र संख्या-2195 दिनांक 09.10.2025 के द्वारा संस्तुति करते हुए अवगत कराया है कि- **"फर्म स्वामी की पत्नी द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का प्रार्थना पत्र ऑनलाइन दिनॉक.13.09.2023 को अपलोड किया गया है जो लगभग 03 माह विलम्ब से है। ऑनलाइन प्रार्थना पत्र अपलोड करते समय प्रार्थना पत्र में त्रुटियाँ हो गयी थीं। त्रुटियों के निराकरण के उपरांत ऑफलाइन प्रार्थना पत्र एफिडेटिव सहित दिनॉक 06.10.2025 को खण्ड.3ए अलीगढ़ में दाखिल किया गया है। विलंब का कारण योजना की जानकारी न होना एवं प्रपत्रों की कमियों को पूरा करना एवं कमियों का निराकरण करना है।"** **उक्त् प्रकरण में संलग्न प्रपत्रों में मृतक के नाम में एकरूपता नही है, जिसे स्पष्ट कराया जाना आवश्यक है।**
3	अलीगढ	स्व० श्री भुवनेश शर्मा	सर्वश्री लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, मथुरा	07-12-2024 09-09-2025	अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, अलीगढ़ ने अपने पत्र संख्या-2196 दिनांक 09.10.2025 के द्वारा संस्तुति करते हुए अवगत कराया है कि- **"विलम्ब अवधि को दावाकर्ता के द्वारा योजना की जानकारी न होने के कारण माफ किये जाने की संस्तुति की गयी है । गुण एवं दोष के आधार पर विलम्ब मर्षण किये जाने की संस्तुति की जाती है।"** **उक्त् प्रकरण में एफ0आई0आर0 की प्रति संलग्न नही है । जो अपेक्षित है ।**
4	अलीगढ	स्व० श्री दिनेश सिंह	सर्वश्री खूशबू बॉस बल्ली एण्ड फर्नीचर हाउस	20-06-2024 19-09-2025	अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, अलीगढ़ ने अपने पत्र संख्या-2197 दिनांक 09.10.2025 के द्वारा संस्तुति करते हुए अवगत कराया है कि- **"प्रथम बार दावा दिनॉक 04.09.2024 को दाखिल किया गया था जो समयांतर्गत था आफलाइन माध्यम से प्रपत्र मुख्यालय प्राप्त न होने के कारण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया गया था। पुनः दावा कर्ता द्वारा प्रपत्र को पूर्ण कराते हुए प्रार्थना पत्र दिनॉक.19.09.2025 ऑनलाइन अपलोड किया गया है।"** **उक्त् प्रकरण में संलग्न प्रपत्रों में मृतक के नाम में एकरूपता नही है, जिसे स्पष्ट कराया जाना आवश्यक है । ।**

	मेरठ	स्व0 श्री अनिल कुमार	सर्वश्री सुपर फाईन रेमेडीज, मेरठ	17-02-2025 06-09-2025	प्रश्नगत प्रकरण मृत्यु के दिनांक से 6 माह 20 दिन पश्चात् प्रेषित किया गया है। संयुक्त आयुक्त(कार्य0) तथा अपर आयुक्त, ग्रेड-1, मेरठ द्वारा विलम्बमर्षण के सम्बन्ध में कोई संस्तुति प्रदान नही की गयी है । अतः उक्त के क्रम में गुण व दोष के आधार पर प्रकरण का पुनः परीक्षण करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित विलम्बमर्षण हेतु प्रकरण आनलाइन माध्यम से मुख्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें ।
6	मुरादाबाद	स्व0 श्री मोहन सिंह	सर्वश्री कृष्णा इन्टरप्राइजेज, मुरादाबाद	22.01.2024 17.09.2025	प्रार्थना पत्र मृत्यु दिनांक से लगभग 1 वर्ष 07 माह पश्चात् प्राप्त हुआ है । अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या-2819 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा संस्तुति करते हुए अवगत कराया है कि- **"पंजीकृत मृतक व्यक्ति की पत्नी को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी नही थी जिसके कारण मृत्यु के छः माह के अन्दर बीमा क्लेम नही किया जा सका था । उक्त कथन मृतक की पत्नी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से भी किया गया है।** उक्त् प्रकरण में संलग्न प्रपत्रों में मृतक के नाम में एकरूपता नही हैए जिसे स्पष्ट कराया जाना आवश्यक है ।
7	मुरादाबाद	स्व0 श्री रहीस अहमद	सर्वश्र एम0एस0आर0 इंटरनेशनल, मुरादाबाद	27-12-2024 22-09-2025	अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, मुरादाबाद, ज़ोन-मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या-2844 दिनांक 09.10.2025 के द्वारा संस्तुति करते हुए अवगत कराया है कि- **"पंजीकृत मृतक व्यक्ति की पत्नी को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी नही थी जिसके कारण मृत्यु के छः माह के अन्दर बीमा क्लेम नही किया जा सका था । उक्त कथन मृतक की पत्नी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से भी किया गया है।** उक्त् प्रकरण में संलग्न प्रपत्रों में मृतक के नाम में एकरूपता नही हैए जिसे स्पष्ट कराया जाना आवश्यक है ।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया विलम्बमर्षण के प्रकरणों में पुनः गुण एवं दोष के आधार पर पूर्ण रूप से आश्वस्त होने के उपरान्त प्रकरण को मुख्यालय प्रेषित करने तथा अन्य आपत्तियों का निराकरण करने का कष्ट करें,ताकि तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

उक्त पत्र आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त आयुक्त (कार्य) राज्य कर, लखनऊ–ए, अलीगढ–ए / बी, मथुरा, मेरठ–बी, मुरादाबाद सम्भाग–ए / बी।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय कों विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13017

श्रीमती पूर्णिमा.............
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

उपायुक्त (आई०टी०) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक..27-10-25........

to jc objection.doc